Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

रमेश वगैराह बनाम **तहसीलदार चित्तौड़गढ़**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **014** सन् **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.05.2022	राजस्व अपील बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी **राजेन्द्र राजौरा** हाजिर। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपील मेमों की प्रति राजकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 1039/2021–22, 1040/2021–22, 1041/2021–22, 1042/2021–22, 1043/2021–22, 1044/2021–22, 1045/2021–22, 1046/2021–22, 1047/2021–22, 1048/2021–22, 1049/2021–22, 1050/2021–22, 1051/2021–22, 1052/2021–22 एवं 1053/2021–22 निर्णय दिनांक 08.02.2022 के संबंध में संयुक्त **(Composite)** अपील पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थीगण को अपील के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील बहस एडमिशन में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.02.2022 से उक्त कुल 15 प्रकरणों में अपीलार्थीगण को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते भौतिक रूप से बेदख किया जाकर शास्ति आरोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, चूंकि अपीलार्थीगण के विरूद्ध मौजा पावटिया की राजकीय आराजी संख्या 177 पर नाजायज कब्जा बताकर नोटिस दिया जाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किये है ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरणों में एक ही प्रकार का विधि का प्रश्न निहित है ऐसी स्थिति में समस्त अपीलार्थीगण की और से उक्त संयुक्त **(Composite)** अपील पेश की गई है जो कि न्यायालय आप में पोषणीय है जिससे अपील अपीलार्थीगण दर्ज रजिस्टर किये जाने आदेश पारित किया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस एडमिशन समाप्त की। इस पर हाजिर राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थीगण का एडमिशन स्तर पर एडमिट किये जाने बाबत् पुरजोर विरूद्ध किया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 08.02.2022 के विरूद्ध उक्त संयुक्त **(Composite)** अपील पेश की गई है जो कि विधि विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, क्योंकि संयुक्त **(Composite)** अपील पेश किये जाने बाबत् विधिक प्रावधान नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील न्यायालय एडमिट किये जाने योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण एडमिशन स्तर पर ही खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस एडमिशन समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 1044/2021–22 निर्णय दिनांक 08.02.2022 एवं 1051/2021–22 निर्णय दिनांक 08.02.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रकरण संख्या 1044/2021–22 निर्णय दिनांक 08.02.2022 एवं 1051/2021–22 निर्णय दिनांक 08.02.2022 के हद तक किसी भी प्रकार से इस न्यायालय में प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं पाया जाता है। हमनें उभयपक्ष द्वारा की गई बहस एडमिशन का चिंतन–मनन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त संयुक्त **(Composite)** अपील पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त अपील एक ही आराजीयात के संबंध में है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है कि जहॉ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील के प्रावधानों के तहत अपील ग्रहण की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पृथक–पृथक कुल 15 प्रकरणों में निर्णय दिनांक 08.02.2022 से पृथक–पृथक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय पारित किये गये ऐसी स्थिति में राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्यूल, 1956 के नियम 17 के प्रावधानों का पालन किया जाना अपीलार्थीगण से अपेक्षित है, जो कि हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा पालन नहीं किया जाना जाहिर होता है, इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि उक्त अपील प्रथम दृष्टया की न्यायालय में पोषणीय नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीगण ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थीगण ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से एडमिशन स्तर पर खारीज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **–SD–** (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.) **18.05.2022**	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official